राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(3) राज/वाद/99,पार्ट जयपुर दिनांक 03-1-2019

:: आदेश ::

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज0 जयपुर के पद पर श्री चिरंजीलाल सैनी, अधिवक्ता को रूपये 44,722/–प्रतिमाह, प्रतिधारण (रिटेनरशिप) पर कार्यभार संभालने की तिथि से अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है। वे राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त पदधारण करेंगे। उपरोक्त पदस्थापन इस शर्त के अधीन रहेगा कि कार्य का विभाजन विधि विभाग एवं महाधिवक्ता द्वारा किया जायेगा।

अन्य सामान्य शर्तें अनुबंध एवं पारिश्रमिक (फीस) निम्न प्रकार है:–

1. अतिरिक्त महाधिवक्ता का मुख्यालय जयपुर होगा।
2. अतिरिक्त महाधिवक्ता को मासिक रिटेनरशिप फीस के अलावा एपीरियेन्स/स्पेशल एपीरियेन्स इन स्पेशियल केसेज फीस व ड्राफ्टिंग एवं प्रारूपण चार्जेज आदेश क्रमांक प0 15(12)राज/वाद/06, जयपुर दिनांक 26.10.2010 यथा संशोधित दिनांक 04.09.2012, दिनांक 22.09.2015 एवं दिनांक 14.08.2018 के अनुसार देय होगे।
3. अतिरिक्त महाधिवक्ता को किसी विशेष मामले में, जो अधिक प्रतिष्ठायुक्त अथवा अधिक मूल्यांकन का होगा, तो उसमें राज्य सरकार विशेष रूप से अधिक राशि शुल्क के रूप में दे सकेगी।
4. मुख्यालय जयपुर से बाहर रहने पर उन्हें टी.ए. व डी.ए. शासन सचिव के समान देय होगा।
5. टेलीफोन की व्यवस्था उनके कार्यालय एवं निवास स्थान पर राज्य सरकार की ओर से की जावेगी।
6. वे अतिरिक्त महाधिवक्ता के लिए नियत सभी कर्तव्यों की पालना महाधिवक्ता के निर्देशानुसार एवं स्वतंत्र रूप से करेगें।
7. वे अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त राजस्थान लॉ एण्ड ज्यूडिशियल डिपार्टमेंट मैन्यूअल 1999 के नियम 7 से 10 एवं राजकीय वादकरण नीति, 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) में अंकित कर्तव्यों का पालन भी करेगें।
8. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों एवं निगमों का, जिनमें राजकीय हितों का उनसे विरोध हो, ऐसा कोई मामला (ब्रीफ) स्वीकार करने के अधिकारी नहीं होगें।
9. अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में उच्च न्यायालय में उनके द्वारा किये गये किसी सरकारी कार्य के लिए, जिसमे राय देने का कार्य भी सम्मिलित है, कोई अतिरिक्त फीस प्राप्त करने का हकदार नहीं होगें।
10. वे उच्च न्यायालय के समक्ष उन्हें सौपे गये सभी सरकारी फौजदारी, दीवानी, याचिकाऐं व विधि मामलों की पैरवी करेगें।
11. उक्त शर्तों के अलावा विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा समय – समय पर जारी सेवा शर्तों/ निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेगें।

आज्ञा से,

03/1/19

(महावीर प्रसाद शर्मा)

प्रमुख शासन सचिव,विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा0 उपमुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा0 विधि मंत्री/मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/जिलाधीश/विभागाध्यक्ष /सचिवालय के समस्त विभाग।
3. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।
4. समस्त अति. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।
5. राजकीय अधिवक्ता/गवर्नमेंट काउन्सिल, जयपुर/जोधपुर।
6. समस्त अति0 महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
7. संबंधित अधिवक्ता।
8. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राज0 जयपुर को राज पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
10. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
11. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
12. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
13. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
14. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी।
15. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. लेखा शाखा, विधि विभाग।
17. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
18. रक्षित पत्रावली।

3/1/19

(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव,विधि